न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 45/2020

उनवान

गणेशलाल सुथार पिता ऊँकारलाल सुथार जाति सुथार निवासी मादलदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा। —: प्रार्थी

बनाम

(1) नाथुलाल पिता ऊँकारलाल सुथार जाति सुथार निवासी मादलदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

(2) नटवरलाल पिता ऊँकारलाल सुथार जाति सुथार निवासी मादलदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

(3) मोहनलाल पिता ऊँकारलाल सुथार जाति सुथार निवासी मादलदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

(4) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा। —: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 04.02.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम मादलदा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में खाता स्थित है। जिसमें खाता संख्या नया 187 व पुराना 175 के कुल सर्वे नम्बर 37 रकबा 3.06 हे0 भूमि वाके ग्राम मादलदा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से लम्बे समय से उपयोग; उपभोग करता आ रहा । प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर लगान अदा कर रहा है। भू–प्रबंधक विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि पर लगान अदा करता कायम किये है। जबकि जो भूमि प्रार्थी के खाते में जो प्रार्थी बैंक में लोन लेने गया तो पता लगा कि उसके खाते में त्रुटीवंश गणेशलाल सुथार की जगह गजेन्द्र नाम अंकित हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम गणेशलाल सुथार है। उसी नाम से मेरे नाधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, राशन कार्ड, जोब कार्ड व बावत बैंक खाते की पसबुक समस्त जगह मेरा नाम गणेशलाल सुधार लिखा हुआ है। किन्तु मेरा पैतृक खाते में भाईयों के साथ मेरा नाम गजेन्द्र लिख दिया गया है। जो गलत होकर मेरा वास्तविक नाम गणेशलाल सुथार है। जबकि प्रार्थी 1/4 हिस्सा भूमि का पात्र होने से इन्द्राज दुरस्ती धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की सभी चरणों को स्वीकार किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम मादलदा की खाता संख्या 187 कुल किता 37 रकबा 3.06 हे0 भूमि नाथुलाल, नटवरलाल, गजेन्द्र, मोहनलाल पिता उंकारलाल सुथार के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी गणेशलाल पिता उंकारलाल सुथार का राजस्व रिकार्ड में गजेन्द्र दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पेनकार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट, ग्राम पंचायत मादलदा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में प्रार्थी का नाम गणेशलाल ही दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज गजेन्द्र के स्थान पर गणेशलाल पिता उंकारलाल किया जाना उचित बताया।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, खाता संख्या 175 (नयी) 188 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072, शपथ–पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार, राशन कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि की छाया प्रतिया एंव तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम मादलदा की खाता संख्या 175 (नई) 188 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.06 हे0 भूमि में दर्ज गजेन्द्र के स्थान पर गणेशलाल पिता उंकारलाल सुथार बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS

उपखण्ड अधिकारी,गढ़ी

Scanned by CamScanner